न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–95/2026
(पंजीकरण सं०–533/2026)
शांतनु उर्फ पुन्नु उपाध्याय पुत्र सुरेशचंद्र
निवासी–लखापुर, थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर।

बनाम

उ०प्र० राज्य।
मु०अ०सं०–159/2025
धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० व धारा 3 (2) (V क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर।

दिनांक–10.03.2026

अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.02.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसको गलत एवं फर्जी ढंग से फसाया गया है। आवेदक को रंजिशन फंसाया गया है। कथित घटना का क्रास केस भी है। इस प्रकरण में उसकी तरफ भी चोटें हैं, जिसका स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकरण में एस०सी०/एस०टी० पक्ष उसके घर पर चढ़ करके उसका आम का फल तोड़े हैं और रोकने पर मारपीट किये हैं। यह घटना उसके दरवाजे पह हुई है। अभियुक्त का घर काफी दूर है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार सरोज ने थाने पर तहरीर इस आशय का दिया कि दिनांक 28.05.2025 को सुबह लगभग 08.30 बजे वह नहर के रास्ते बरई पार जा रहा था कि रास्ते में अभियुक्तगण अरूण उपाध्याय, विपिन उपाध्याय तथा शांतनु उर्फ पुन्नु उसकी बाइक रोककर गाली–गुप्ता देते हुए जातिसूचक शब्द चमार, पासी का प्रयोग करते हुए लात–मुक्का से मारने–पीटने लगे, तब वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा तथा पड़ोस के लोग व रमेश सरोज उसके घर पर उलाहना देने गये तो उन लोगों के साथ सुरेशचंद्र उपाध्याय जो कि सभी लोग उसके गाँव के रहने वाले हैं, सभी लोग मिलकर माँ–बहन व जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए लाठी–डंडा व लात–घूंसा से मारे–पीटे तथा उसके पास अवैध तमंचा भी था। उन लोगों के मारने पीटने से उसको व रमेश सरोज को काफी चोटें आई। जब लोगों द्वारा बीच–बचाव किया गया तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं दो अन्य के विरूद्ध मु०अ०सं०–159/2025, अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० व धारा 3 (2) (V क) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इन्हीं दांडिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है,उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मार–पीट कर उपहति कारित किये जाने, भद्दी–भद्दी गाली–गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किये जाने का

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.10 16:16:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट किया जाना, गाली–गलौज करते हुए जान से मारने धमकी दिया जाना तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्त पर धारा–35(3) बी०एन०एस०एस० की नोटिस तामील करायी गयी है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना –पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शांतनु उर्फ पुन्नु उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० –25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उसको निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य /साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान अन्य किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509